संख्या-27/2026/695/002-53-2002-50-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2. दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, आगरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 16.10.2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 (जिलायोजना-सामान्य) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-358/दुग्ध-5/नियो0/तकनीकी निवेश-सामान्य/26-27, दिनांक 30 सितम्बर, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-16 (जिला योजना-सामान्य) में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-18 / 2026 / 358 / 001-53-2002-50-2019, दिनांक 11.06.2026 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 125.00 लाख की स्वीकृति के उपरान्त आवशेष धनराशि रू0 375.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 125.00 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की प्रदेश के 75 जनपदों के लिए दवाओं (डिवर्मर, थनैला व टिक कन्ट्रोल), पी0सी0डी0एफ0 के पशुआहार निर्माणशालाओं द्वारा निर्मित मिनरल मिक्स्चर एवं पशुआहार के लिए क्रमश: 30:20:50 के अनुपात में व्यय किये जाने हेतु संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उपदुग्धशाला विकास अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम / शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम, शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाईडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य एवं मदों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 की होगी।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

5. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य / मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

6. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

7. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतःसुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

9. प्रश्नगत धनराशि का व्यय बजट प्राविधान से इतर कार्य/मदों में किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4 / 2026 / बी-1-812 / दस-2026-231 / 2026, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी।

13. अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों / नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा । व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी / धनराशि का उपयोग करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

14. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहने का उत्तरदायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

15. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

16. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो, तो संबंधित दुग्धसंघ / समितियां अपने संसाधन से वहन करेगें।

18. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबधित दुग्धसंघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय किश्त द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर मदवार विवरण सहित शासन को तृतीय किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

19. स्वीकृति धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे बहीखाते एवं सम्बन्धित दुग्धसंघों के लेखे एवं बहीखाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ / परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

20. जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन / सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन / सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखाशीर्षक** 2404001020301 दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश अशासकीय संख्या- E-1-165-X-2026-2027 दिनांक- 14-10-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय,

राम सहाय यादव

विशेष सचिव।

संख्या- 27/2026/695(1)/002-53-2002-50-2019, तद्दिनांक ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम / द्वितीय, लखनऊ / प्रयागराज।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तरप्रदेश।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।

6- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

8- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उ0प्र0।

9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0।

10- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3 / राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

11- संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तरप्रदेश।

12- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।

13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामबूझ,

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।